कलेक्ट्रट सभाकक्ष में दिनांक 30.07.2021 को आयोजित जल जीवन मिशन की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 30.07.2021 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यो के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमे निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया :–

1. श्री तेजप्रताप मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
2. श्री रामायण सिहं यादव, परियोजना निदेशक, कासगंज।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी, कासगंज।
4. श्री डी.के.सिहं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
5. श्री विपिन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
6. श्री ज्ञान सिहं, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
7. श्री सजन कुमार, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
8. श्री राजेन्द्र सिहं, सहायक अभियन्ता, जल निगम, कासगंज।
9. श्री खुर्शीद आलम, जू0इं0, जल निगम, कासगंज।
10. श्री कुँवरजीत सिहं, सहायक महाप्रबन्धक, पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा0लि0, आगरा।
11. श्री आर.के.जैन, परियोजना प्रबन्धक, पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा0लि0, आगरा।
12. श्री रिषभ, आयन एक्सचेन्ज संस्था।
13. श्री रौनक अली, क्वालिटी कन्ट्रोल इंजी0, आरवी एसोसियेट, (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन)।
14. श्री योगेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, जनहितकारी सेवा समिति, रामनगर कालोनी, अलीगढ।
15. श्री जितेन्द्र कुमार, सचिव, द्वारिका प्रसाद जन जागरण समिति, बिलराम गेट कासगंज।

उक्त बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओ की समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिये।

बिन्दु सं0 1– जनपद कासगंज में नई पेयजल योजनाओं के अधिष्ठापन हेतु नामित फर्म पी.एन.सी. के द्वारा अवगत कराया गया कि 391 ग्रामों के सापेक्ष 206 ग्रामों का सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है, तथा इनमें से 97 नग ग्रामों की भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हो गये है। फर्म के द्वारा 33 ग्रामों मे भूमि उपलब्ध नहीं हो पाने की सूची उपलब्ध कराई गई है। जनपद कासगंज में नई पेयजल योजनओं के डी.पी.आर. की धीमी प्रगति पर मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया। जिस पर पी.एन.सी. द्वारा यह आश्वासन दिया गया है। कि अगस्त माह में 100 नग डी.पी.आर. बनाकर प्रस्तुत कर दी जायेगीं। पी.एन.सी. फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 60 नग डी.पी.आर. तैयार है। लेकिन पर कैपिटा कॉस्ट रू. 6000 से अधिक होने के कारण से प्रस्तुत नहीं की जा सकी। इनका पुनः परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पोर्टल पर सभी प्रगति सम्बन्धी सूचना प्रोफार्मा पर अपडेट करने के आदेश दिये। पी.एन.सी. द्वारा समय से कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया। जिन ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अग्रिम बैठक में रोस्टर वाइज तहसीलदार तथा एस.डी.एम. को मीटिंग में उपस्थित रहने के सम्बन्ध में सूचित करने के निर्देश दिये।

बिन्दु सं0 2– आयॅन एक्सचेन्ज द्वारा कुल 09 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी.पी.आर. प्रस्तुत की जानी है। इनमें से 05 नग डी.पी.आर. DWSM से संस्तुति कर SWSM में प्रेषित की जा चुकी है। उनमें से 04 नग डी.पी.आर. SWSM से स्वीकृत हो चुकी है। तथा शेष 01 नग DWSM से स्वीकृत डी.पी.आर. आगामी SWSM की बैठक में स्वीकृत होगी। इनके द्वारा प्रस्तुत 01 नग डी.पी.आर. जिसकी लागत रू. 2.00 करोड से कम है तकनीकी स्वीकृत हेतु मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा को प्रेषित की जा चुकी है। शेष 03 नग डी.पी.आर. जल निगम के कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई है। जिसकी जॉच की जा रही है।

letter

बिन्दु सं0 3– टी.पी.आई. मै0 आर0वी0 एसोसियेट के प्रतिनिधि के कार्यो की समीक्षा के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 23 नग रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं में 07 नग योजनाओं का गुणवत्तापरक निरीक्षण किया गया है। जिसकी जॉच आख्या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फर्म को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा एफ.एच.टी.सी. से सम्बन्धित समस्त विवरण तथा जॉच आख्या प्रस्तुत करने एवं आगामी बैठक में अपना प्रजेन्टेशन देने के निर्देश दिये।

बिन्दु सं0 4– मीटिंग में उपस्थित दोनों आई.एस.ए. संस्थाओं क्रमशः द्वारिका प्रसाद जन जागरण समिति, बिलराम गेट कासगंज एवं जनहितकारी सेवा समिति, रामनगर कालोनी, अलीगढ में से किसी के अध्यक्ष एवं सचिव के उपस्थित न होने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई। तथा बिना उनकी उपस्थिति के कारण से सम्बन्धित की समीक्षा नहीं की जा सकी। तथा इस सम्बन्ध में SWSM को पत्र भेजने तथा दूसरी एजेन्सी से कार्य कराने के निर्देश दिये गये। परन्तु बाद में जनहितकारी सेवा समिति, रामनगर कालोनी, अलीगढ के अध्यक्ष के उपस्थित होने पर उनके कार्यो की समीक्षा की गई। तथा निर्देश दिये गये कि आगामी 15 दिनों में कार्य किये जाने का एजेण्डा तथा उसकी लिखित सूचना पूर्व में डी.पी.आर.ओ./बी.डी.ओ. तथा जल निगम को सूचित करेगें तथा सम्बन्धित के प्रतिनिधि को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

बिन्दु सं0 5– जल निगम द्वारा कार्यरत 23 नग रेट्रोफिटिंग पेयजल योजनाओं में 10240 नग प्रस्तावित एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष माह जुलाई तक 7706 नग एफ.एच.टी.सी. का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने में ग्रामवासियों द्वारा रूचि न लेने के कारण से लक्ष्य पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। जिस हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी/डी.पी.आर.ओ. को पत्र लिखकर सहयोग प्राप्त करने के आदेश दिये।

बिन्दु सं0 5– मुख्य विकास अधिकारी द्वारा फील्ड टेस्ट किट वितरण एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क करके 05 महिलाओ का सूमह बनाने तथा तत्सम्बन्धित कार्य करने के निर्देश दिये। तथा इस कार्य हेतु प्रत्येक सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता को एक–एक विकास खण्ड आवंटित करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(तेज प्रताप मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी

पत्रांक 254 / जेम्स कासगंज / दिनॉक 08-8-21
पृ0सं0 एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम, आगरा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, कासगंज।
6. मै0 पी.एन.सी.इन्फ्राटेक प्रा0लि0 आगरा/मै0 आर्यन एक्सचेन्ज, अलीगढ।
7. मै0 द्वारिका प्रसाद, जन कल्याण समिति/मै0 जनहितकारी सेवा समिति, अलीगढ।
8. मै0 आरवी एसोसियेट, अलीगढ।

मुख्य विकास अधिकारी
03/8/2021

letter